

116

श्री. क. १/५१
२२-५१ २६९
१६.५.१८

न्यायालय- माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / / 2018-जिला रीवा

जिगरानी-3027/2018/रीवा/भू.रा

1. श्रीमती लोलरिया पत्नी स्व० कालीचरण
 2. रामकृष्ण पुत्र स्व० श्री कालीचरण
 3. हरीदास पुत्र स्व० श्री कालीचरण
 4. शिवदास पुत्र स्व० श्री कालीचरण
 5. रामभूषणदास पुत्र स्व० श्री कालीचरण
- समस्त निवासीगण- ग्राम खटखरी,
तहसील हनुमना, जिला रीवा (म०प्र०)

--- आवेदकगण

बनाम

1. मध्य प्रदेश शासन द्वारा - कलेक्टर,
जिला रीवा (म०प्र०)
2. रामविलास पुत्र बबोली प्रसाद, निवासी
ग्राम खटखरी, तहसील हनुमना, जिला
रीवा (म०प्र०)

--- अनावेदकगण

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू-राजस्व संहिता, 1959
विरुद्ध आदेश दिनांक 21.03.2018 पारित द्वारा अनुविभागीय
अधिकारी, हनुमना, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 219/ए-74
/2016-17 अपील उनवान श्रीमती लोलरिया आदि बनाम मध्य
प्रदेश शासन आदि।

3

श्री. क. १/५१
द्वारा आज दि. १६-५-१८
प्रस्तुत! प्रारम्भिक तर्क हेतु
दिनांक २४-५-१८ निवत।
रजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी / 3027 / 2018 / रीवा / भू0रा0

श्रीमती लोलरिया आदि

विरुद्ध

म0प्र0शासन आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
15-2-2019 18/2/2019	<p>आवेदक की ओर से श्री आई0पी0 द्विवेदी अभिभाषक उपस्थित। आवेदकगण की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी हनुमना जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 219/अ-74/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 21-3-2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला-रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 15-4-2019 को कलेक्टर जिला-रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p>(आर0क0 जैन) सदस्य</p>